



उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5
संख्या-322430/XXVIII(5)/2025(E-75859)
देहरादून: दिनांक: 13 अगस्त, 2025

प्रोन्नति-विज्ञप्ति

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित विभागीय चयन समिति की दि० 23 जुलाई, 2025 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के आलोक में उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज (हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हरिद्वार, रुद्रपुर एवम् पिथौरागढ़) के कुल रिक्त 07 प्राचार्य के पदों पर निम्नांकित अर्ह प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष को प्राचार्य के नियमित पद पर वेतनमान ₹1,44,200-2,18,200/- (लेवल-14) में एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	पदोन्नत प्राचार्य का नाम
1.	डॉ० अरुण जोशी
2.	डॉ० अजय आर्या
3.	डॉ० गीता जैन
4.	डॉ० चन्द्र प्रकाश
5.	डॉ० चन्द्र मोहन सिंह रावत
6.	डॉ० गोविन्द सिंह तितियाल
7.	डॉ० अरविन्द कुमार सिंह

2- चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 के भाग-06 नियम-20 के अधीन उपरोक्त पदोन्नत प्राचार्य 02 वर्ष की परीक्षा की अवधि में रहेंगे।

3- पदोन्नत प्राचार्य की तैनाती पदस्थापना (नवीन तैनाती) हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4- उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज (हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हरिद्वार, रुद्रपुर एवम् पिथौरागढ़) के प्राचार्य के नियमित पदों पर पदोन्नति एवम् पदस्थापना सम्बन्धी आदेश (ई आफिस नं०-I/322074/2025) जो बिना मैन्युअल पत्र संख्या एवम् दिनांक के हैं किन्तु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवम् चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के डिजिटल हस्ताक्षर सहित प्रचारित हो रहा है, त्रुटिपूर्ण है, को निरस्त समझा जाय।

Digitally signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 13-08-2025
17:42:18

(डॉ० आर राजेश कुमार)
सचिव

संख्या- 3224 30 /XXVIII(5)/2025(E-75859) एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव सचिव, अपर सचिव, सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति/सचिव, गन्ना एवं चीनी, राज्य सम्पत्ति, उत्तराखण्ड शासन।
6. अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
8. आयुक्त कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।
9. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
12. समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।
13. संबंधित कार्मिक द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
14. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित की उत्तराखण्ड में आगामी/असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए इसकी 50 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-05, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
15. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रोन्नति आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Jasvinder Kaur
Date: 13/08/2025
17:46:45 सचिव